भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 276

19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : प्रधानमंत्री किसान योजना

276. डॉ (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी :

श्री एस. वेंकटेशन :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषित केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चालू हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने उन किसान परिवारों की पहचान की है जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजना के तहत आज की तिथि तक लाभान्वित लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और वित्त वर्ष 2019-2020 में आवंटित, उपयोग की गई और उपयोग नहीं की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना को लागू करने में केन्द्र सरकार को कोई कठिनाई हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) दूसरी और तीसरी किश्तों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गई है; और

(च) क्या प्रधान मंत्री किसान योजना के अंतर्गत दूसरी और तीसरी किश्तों में निधि जारी करने में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) : पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम 01.12.2018 से चालू हो गई है। इस स्कीम का उद्देश्य देश के सभी पात्र भू-धारक किसान परिवारों को आय संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। इस संबंध में उच्च वर्गीय आय समूह से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन उनकी भू-जोतों के आकार को ध्यान में

लाए बिना यह सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के तहत पात्र लाभार्थी को प्रति वर्ष 6000 रूपए की दर से लाभ प्रदान किया जाता है जो 2000 रूपए की तीन चार माही किस्तों में अदा किया जाता है। इस भुगतान को प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण पद्धति के तहत पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ऑलनाईन डाला जाता है। लाभार्थियों की पात्रता से संबंधित उनकी पहचान के लिए अंतिम तारीख 01.02.2019 है।

(ख) : जी हां, इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र भू-धारक किसान परिवारों की पहचान तथा पीएम-किसान पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों के डाटा को अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। तमिलनाडु सहित राज्यों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों का विवरण अनुबंध-1 पर प्रस्तुत है।

(ग) : उन लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा जो पीएम-किसान के तहत लाभान्वित हुए है, अनुबंध-।। पर प्रस्तुत है। अन्य स्कीमों के विपरीत पीएम-किसान के तहत निधियों को राज्यवार आवंटित और निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक निरंतर और चालू स्कीम है जिसमें वित्तीय लाभों को पीएम-किसान वेब पोर्टल पर संबंधित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा जब और जैसे लाभार्थियों का सही और सत्यापित डाटा अपलोड किए जाने पर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित 75,000 करोड़ रूपए में से लगभग 27,937.26 करोड़ रूपए दिनांक 31.10.2019 तक खर्च कर दिए गए हैं जिनमें राज्यों को दिया गया प्रशासनिक खर्च भी शामिल है।

(घ) :

1. पश्चिम बंगाल राज्य ने लाभार्थियों का कोई डाटा नहीं दिया है।

2. कुछ राज्य इस कार्यक्रम में देर से शामिल हुए हैं और कुछ लाभार्थियों का डाटा उपलब्ध कराने में सुस्त हैं।

3. राज्य के प्राधिकारियों द्वारा डाटा को सही करने में समय लग रहा है।

(ड.) : पीएम-किसान के तहत निधियां राज्यवार जारी नहीं की जाती हैं। तथापि वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण के जरिए चिन्हित पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। पीएम-किसान के तहत पंजीकृत किए जाने वाले लाभार्थियों की भुगतान स्थिति का विवरण **अनुबंध-।।।** पर प्रस्तुत है।

(च) : कोई देरी नहीं हुई है। निधियों को लभार्थियों का डाटा सत्यापित होते ही जारी कर दिया जाता है।

लो.स.अता.प्र.सं.276

अनुबंध -I

राज्य द्वारा पीएम-किसान के तहत अपलोड किए गए लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	एक्सएमएल फाईल द्वारा अपलोड किया गया डाटा (स्थाई निरस्थ डाटा को छोड़कर)	ऑनलाईन प्रवेश के जरिए दर्ज डाटा	कुल डाटा	प्रथम स्तर पर स्वीकार किया गया डाटा
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,812	14,878	16,690	16,684
2	आंध्र प्रदेश	46,86,444	6	46,86,450	46,86,448
3	अरुणाचल प्रदेश	0	47,056	47,056	47,056
4	असम	6,17,868	30,62,609	36,80,477	36,39,416
5	बिहार	50,01,131	0	50,01,131	47,89,031
6	चंडीगढ़	0	462	462	462
7	छत्तीसगढ	22,58,181	5,350	22,63,531	19,00,761
8	दादा और नागर हवेली	0	9,968	9,968	9,968
9	दमन और दीव	0	3,483	3,483	3,483
10	दिल्ली	0	12,914	12,914	12,914
11	गोवा	8,043	1	8,044	6,906
12	गुजरात	49,25,192	13,447	49,38,639	48,91,271
13	हरियाणा	15,54,494	3,531	15,58,025	15,52,692
	हिमाचल प्रदेश	3,73,600	5,07,769	8,81,369	8,61,534
15	जम्मू एवं कश्मीर	9,68,132	1,07,680	10,75,812	9,76,065
16	झारखंड	18,06,042	18,975	18,25,017	17,56,458
17	कर्नाटक	48,79,275	0	48,79,275	48,31,487
18	केरल	0	29,40,324	29,40,324	29,40,324
19	लक्षद्वीप	0	1,699	1,699	1,699
20	मध्य प्रदेश	58,73,766	762	58,74,528	57,35,453
21	महाराष्ट्र	69,92,997	11,28,485	81,21,482	81,14,286
22	मणिपुर	0	89,898	89,898	89,898
23	मेघालय	2,263	65,135	67,398	67,394
24	मिजोरम	96,823	4,040	1,00,863	77,094
25	नागालैंड	70,178	1,68,470	2,38,648	1,70,466
26	ओडिशा	33,87,875	0	33,87,875	32,31,978
	पुडुचेरी	10,482	1,403	11,885	9,127
28	पंजाब	23,74,457	0	23,74,457	23,70,077
29	राजस्थान	58,03,841	666	58,04,507	57,55,868
30	सिक्किम	15,739	0	15,739	11,048
31	तमिलनाडु	34,54,211	54,303	35,08,514	34,99,939
32	तेलंगाना	36,08,302	0	36,08,302	36,02,375
33	त्रिपुरा	0	1,93,590	1,93,590	1,93,590
34	उत्तर प्रदेश	2,16,50,815	0	2,16,50,815	2,15,91,954
35	उत्तराखंड	18,187	6,89,300	7,07,487	7,06,428
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल योग :	**8,04,40,150**	**91,46,204**	**8,95,86,354**	**8,81,51,634**

पीएम-किसान के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की राज्यवार सूची		
क्र.सं.	**राज्य**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15,561
2	आंध्र प्रदेश	42,55,485
3	अरुणाचल प्रदेश	15869
4	असम	26,85,935
5	बिहार	41,00,857
6	चंडीगढ़	404
7	छत्तीसगढ	14,65,870
8	दादर और नागर हवेली	9466
9	दमन और दीव	3243
10	दिल्ली	10713
11	गोवा	6,077
12	गुजरात	44,73,282
13	हरियाणा	13,91,234
	हिमाचल प्रदेश	8,09,188
15	जम्मू एवं कश्मीर	7,90,544
16	झारखंड	14,20,698
17	कर्नाटक	41,01,473
18	केरल	2135274
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	39,97,295
21	महाराष्ट्र	67,42,089
22	मणिपुर	71102
23	मेघालय	55,534
24	मिजोरम	62,989
25	नागालैंड	1,34,555
26	ओडिशा	30,26,024
27	पुडुचेरी	8,755
28	पंजाब	14,62,216
29	राजस्थान	44,04,817
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	32,23,904
32	तेलंगाना	33,19,728
33	त्रिपुरा	188030
34	उत्तर प्रदेश	1,67,12,457
35	उत्तराखंड	6,28,647
36	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	**7,17,29,315**

अनुबंध-III

राज्य का नाम	पीएम-किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डाटा	पीएफएमएस द्वारा सत्यापित डाटा	1 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों के लिए भुगतान की स्थिति		
			भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या		
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11895	11377	11173	11155	10948
आंध्र प्रदेश	3845946	3601177	3519368	3379818	3360204
अरुणाचल प्रदेश	18500	16373	3054	3047	1725
असम	1697656	1437787	1402436	1371235	987910
बिहार	736490	684907	679405	669223	668993
चंडीगढ़	271	267	267	267	220
छत्तीसगढ	268202	167175	165089	164697	164523
दादर और नागर हवेली	6167	6149	6066	6057	6027
दमन और दीव	2663	2582	2561	2541	2494
दिल्ली	2505	2403	2117	1989	0
गोवा	3947	3890	3831	3164	3158
गुजरात	3147057	3041177	2990037	2974473	2967077
हरियाणा	1253982	1134582	1163810	1159140	1123215
हिमाचल प्रदेश	588031	570100	559650	557335	555072
जम्मू एवं कश्मीर	658344	602766	566865	543223	525000
झारखंड	613108	610697	524477	432440	320682
कर्नाटक	406227	387570	384186	382307	368515
केरल	2613832	2425556	1887954	1863676	1833596
लक्षद्वीप	1628	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	19077	14067	12973	12639	12533
महाराष्ट्र	4232937	3912119	3653818	3153045	2617208
मणिपुर	42404	39126	37481	36959	36928
मेघालय	26389	24775	21980	21932	15663
मिजोरम	36910	33981	32532	32455	32437
नागालैंड	43519	37919	36326	35663	35336
ओडिशा	984118	974567	972317	934797	0
पुडुचेरी	6362	6300	6134	5968	937
पंजाब	1558642	1492357	1462244	1456106	1378396
राजस्थान	3011468	2882597	2727700	2711337	2455490
सिक्किम	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	2773646	2692358	2624111	2582772	2558113
तेलंगाना	2667036	2625568	2577436	2513188	2491902
त्रिपुरा	163095	159982	159207	159143	159078
उत्तर प्रदेश	15387326	13441533	12753521	12506669	12438114
उत्तराखंड	591272	539032	536866	523181	492605
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल	**47420652**	**43582816**	**41486992**	**40211641**	**37624099**

राज्य का नाम	पीएम-किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डाटा	पीएफएमएस द्वारा सत्यापित डाटा	1 अप्रैल, 2019 से 31जुलाई, 2019 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों के लिए भुगतान की स्थिति		
			भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या		
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4202	3999	3941	3935	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	840501	768819	753993	750592	लागू नहीं
अरुणाचल प्रदेश	9391	8649	6497	6457	लागू नहीं
असम	1561112	1357364	1228822	955368	लागू नहीं
बिहार	2654787	2435358	2406566	2401349	लागू नहीं
चंडीगढ़	0	0	0	0	लागू नहीं
छत्तीसगढ	1379162	1212128	1170611	1167205	लागू नहीं
दादर और नागर हवेली	2781	2766	2746	2742	लागू नहीं
दमन और दीव	677	650	633	573	लागू नहीं
दिल्ली	8787	8255	7750	7695	लागू नहीं
गोवा	2665	2538	2228	1747	लागू नहीं
गुजरात	1575826	1486084	1445810	1435586	लागू नहीं
हरियाणा	210675	192658	191619	191007	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	221295	212892	212160	211323	लागू नहीं
जम्मू एवं कश्मीर	235114	212357	206666	203536	लागू नहीं
झारखंड	368999	321192	316223	304876	लागू नहीं
कर्नाटक	3392394	3306452	3103072	3051413	लागू नहीं
केरल	281979	263094	240623	238916	लागू नहीं
लक्षद्वीप	33	0	0	0	लागू नहीं
मध्य प्रदेश	4265282	3580424	3529155	3461092	लागू नहीं
महाराष्ट्र	3369154	3100030	2898206	2787410	लागू नहीं
मणिपुर	17515	16102	16031	15974	लागू नहीं
मेघालय	12744	12184	12179	12155	लागू नहीं
मिजोरम	31304	25737	25359	25315	लागू नहीं
नागालैंड	67278	62167	60805	59799	लागू नहीं
ओडिशा	2247860	2120090	2053707	0	लागू नहीं
पुडुचेरी	2726	2689	2656	2640	लागू नहीं
पंजाब	0	0	0	0	लागू नहीं
राजस्थान	1839310	1722871	1486008	1471347	लागू नहीं
सिक्किम	3722	3127	0	0	लागू नहीं
तमिलनाडु	630847	612296	588772	579090	लागू नहीं
तेलंगाना	805132	757221	748160	744529	लागू नहीं
त्रिपुरा	25950	25238	25230	25210	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	4645013	3285078	3131974	2337671	लागू नहीं
उत्तराखंड	75079	70692	70218	68966	लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	लागू नहीं
कुल:	**30789296**	**27191201**	**25948420**	**22525518**	

*टिप्पण : - लाभार्थी उस अवधि की किस्त के पात्र है जिसमें उसने पंजीकरण कराया है। इस अनुक्रम में उसके बाद की अवधि भी शामिल होगी। इसलिए अप्रैल, 19-जुलाई, 19 के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों के लिए तीसरी किस्त देय नहीं है।

राज्य का नाम	पीएम-किसान पोर्टल द्वारा सत्यापित डाटा	पीएफएमएस द्वारा सत्यापित डाटा	1 अगस्त, 2019 से 31 नवंबर, 2019 के बीच पंजीकृत लाभार्थियों के लिए भुगतान की स्थिति		
			भुगतान किए गए लाभार्थियों की संख्या		
			पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	587	548	481	लागू नहीं	लागू नहीं
आंध्र प्रदेश	1	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं
अरुणाचल प्रदेश	19173	15264	6318	लागू नहीं	लागू नहीं
असम	380685	311011	59553	लागू नहीं	लागू नहीं
बिहार	1397754	1238901	1044899	लागू नहीं	लागू नहीं
चंडीगढ़	191	185	171	लागू नहीं	लागू नहीं
छत्तीसगढ	253449	183455	146717	लागू नहीं	लागू नहीं
दादर और नागर हवेली	1057	1020	867	लागू नहीं	लागू नहीं
दमन और दीव	143	134	88	लागू नहीं	लागू नहीं
दिल्ली	1622	1496	1196	लागू नहीं	लागू नहीं
गोवा	294	278	98	लागू नहीं	लागू नहीं
गुजरात	168557	153773	97382	लागू नहीं	लागू नहीं
हरियाणा	88042	54999	35917	लागू नहीं	लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	52631	49934	47687	लागू नहीं	लागू नहीं
जम्मू एवं कश्मीर	82849	75116	51716	लागू नहीं	लागू नहीं
झारखंड	774478	621710	599109	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्नाटक	1032866	886835	753861	लागू नहीं	लागू नहीं
केरल	45754	42826	28991	लागू नहीं	लागू नहीं
लक्षद्वीप	38	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
मध्य प्रदेश	1451227	1184751	551137	लागू नहीं	लागू नहीं
महाराष्ट्र	523439	403536	354441	लागू नहीं	लागू नहीं
मणिपुर	31174	27886	24532	लागू नहीं	लागू नहीं
मेघालय	28394	25877	24507	लागू नहीं	लागू नहीं
मिजोरम	8886	6178	5884	लागू नहीं	लागू नहीं
नागालैंड	61540	54561	47149	लागू नहीं	लागू नहीं
ओडिशा	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
पुडुचेरी	39	35	9	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब	811435	739445	243749	लागू नहीं	लागू नहीं
राजस्थान	905090	739445	225855	लागू नहीं	लागू नहीं
सिक्किम	7326	4613	0	लागू नहीं	लागू नहीं
तमिलनाडु	96318	88872	52315	लागू नहीं	लागू नहीं
तेलंगाना	130207	116902	37273	लागू नहीं	लागू नहीं
त्रिपुरा	4575	4384	4273	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	1559615	1022718	826962	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तराखंड	40750	36224	33475	लागू नहीं	लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल:	9960186	8092913	5306612	लागू नहीं	लागू नहीं

* टिप्पण:- लाभार्थी उस अवधि की किस्त के पात्र है जिसमें उसने पंजीकरण कराया है। इस अनुक्रम में उसके बाद की अवधि भी शामिल होगी। इसलिए अगस्त, 19-नवंबर, 19 की अवधि में पंजीकृत लाभार्थियों के लिए दूसरी और तीसरी किस्त देय नहीं है।

*****